

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 37/446
ग्रा0वि07(विविध)-11/2014

पटना, दिनांक 25-05-2018

प्रेषक,

अरविन्द कुमार चौधरी,
सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक,
सभी उप विकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक,
बिहार ।

विषय:- मनरेगा अंतर्गत आगामी वर्षा काल के जल का भंडारण एवं संरक्षण करके मॉनसून का अधिक-से-अधिक लाभ उठाने के संबंध में ।

प्रसंग:- माननीय प्रधानमंत्री के पत्र एवं उन पर माननीय मुख्यमंत्री का वृत्तादेश ।

महाशय,


उपर्युक्त विषयक प्रासांगिक पत्र (प्रति संलग्न) के संबंध में कहना है कि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा गर्मी के इस मौसम में और विशेषकर मई-जून के महीने में समय रहते अगामी वर्षा काल के जल का अधिकतम उपयोग हो सके इसके लिए जल भंडारण एवं संरक्षण की व्यवस्था पर कार्य करने के लिए निर्देश दिया गया है ।

अगामी मॉनसून के आगमन को देखते हुए वर्षा के पानी को जमा करने एवं उसके संरक्षण की प्रभावी व्यवस्था की जाए ताकि वर्षा जल का अधिक से अधिक लाभ उठाया जा सके एवं सुखाड़ की स्थिति से निपटा जा सके । इसके लिए एक रणनीति के अंतर्गत मनरेगा अधिनियम अंतर्गत अनुमान्य जल संरक्षण संबंधित कार्यों के लिए कार्य योजना तैयार किया जाए । पानी के भंडारण की दिशा में नये तालाबों का निर्माण, मौजूदा तालाब और पानी भंडारण के लिए बनाये गये सिंचाई टैंकों में मिट्टी की सफाई, उनकी मरम्मत का कार्य किया जा सकता है । मनरेगा के वार्षिक कार्य योजना के अंतर्गत जल संचयन के योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर चयन किया जाए । साथ ही साथ परंपरागत जल स्रोतों एवं जल संचयन के साधन का भी जीर्णोद्धार कार्यों की प्राथमिकता के आधार पर क्रियान्वित किया जाए । पत्र के साथ माननीय प्रधान मंत्री के कार्यालय से प्राप्त उन संभावित कार्यों की सूची संलग्न है जो मनरेगा अंतर्गत क्रियान्वित किया जा सकता है ।

अतः जिलों में पूर्व के वर्षों के spill over एवं लेबर बजट के अंतर्गत चयन किये गये आहर/पड़न एवं जल संरक्षण संबंधित सभी कार्यों को मॉनसून आने के पूर्व अवश्य पूर्ण करा लिया जाए ।

अनु0- यथोक्त ।

विश्वासभाजन


(अरविन्द कुमार चौधरी)
सचिव



सत्यमेव जयते

प्रधान मंत्री
Prime Minister

नई दिल्ली
अप्रैल 29, 2018

श्री नरेंद्र मोदी
34/2/2018
श्री नरेंद्र मोदी
5/5/18

प्रिय श्री नीतीश कुमार जी,

मैं आपको ये पत्र इसलिए लिख रहा हूं, ताकि गर्मी के इस मौसम में और विशेषकर मई-जून के महीने में, हम समय रहते, संगठित होकर एक महत्वपूर्ण विषय पर ठोस कदम उठा सकें। वर्षा जल का अधिकतम उपयोग हो सके, इसके लिए पानी के भंडारण और संरक्षण की व्यवस्था पर कार्य किया जाना बहुत आवश्यक है। इस विषय पर केंद्र सरकार निरंतर जोर देती रही है। हमने ये भी देखा है कि बीते वर्षों में कुछ राज्यों में इस दिशा में बहुत प्रशंसनीय कार्य भी हुआ है।

पानी के भंडारण की दिशा में जो कुछ कदम उठाए जा सकते हैं उनमें नए तालाबों का निर्माण, मौजूदा तालाब और पानी भंडारण के लिए बनाए गए सिंचाई टैंकों में मिट्टी की सफाई, उनकी मरम्मत का कार्य किया जा सकता है। इसके अलावा माइक्रो वॉटरशेड का निर्माण, ग्राउंड वॉटर रीचार्ज स्ट्रक्चर का निर्माण, वर्षाजल के संरक्षण के लिए नई संरचना का निर्माण जैसे कार्य भी कराए जा सकते हैं।

इनमें से ज्यादातर कार्य स्थानीय स्तर पर ग्राम पंचायतों और अन्य संगठनों को संगठित करके भी किए जा सकते हैं। इन कार्यों के लिए मनरेगा, चौदहवें वित्तीय आयोग का अनुदान, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत इंटीग्रेटेड वॉटरशेड डवलपमेंट प्रोग्राम जैसे वर्तमान में चल रहे विभिन्न कार्यक्रमों के संसाधनों को एकीकृत कर उपयोग में लाया जा सकता है। इस अभियान के दौरान जो निर्माण किया जाएगा, उसकी जीयो-टैगिंग करके हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारे प्रयासों का लाभ छोटे से छोटे किसान तक पहुंचे।

24 अप्रैल, 2018 को, पंचायती राज दिवस पर मैंने देश के सभी ग्राम प्रधानों से भी आग्रह किया था कि वो गर्मी के इन महीनों में जल-भंडारण और जल-संरक्षण पर व्यापक कार्यक्रम चलाएं।

87

:2:


मैं अपने इस पत्र के साथ उन संभावित कार्यों की सूची भी संलग्न कर रहा हूं, जो स्थानीय आवश्यकताओं और स्थितियों का आकलन करते हुए प्रत्येक राज्य द्वारा शुरू कराए जा सकते हैं।

इन कार्यों की गंभीरता को देखते हुए, मेरा आपको सुझाव है कि वर्षा होने से पहले, अगले 2-3 महीनों में, मनरेगा द्वारा जो कार्य कराए जा रहे हैं, उन्हें पूरी तरह जल संरक्षण से जुड़े कार्यों पर ही केंद्रित रखा जाए।

मेरा आपसे आग्रह है कि इस विषय को उच्च प्राथमिकता दें और सभी संबंधित विभागों और जिलों को, मापे जा सकने वाले परिणामों को ध्यान में रखते हुए, आवश्यक एक्शन प्लान बनाने के लिए निर्देशित करें और इन कार्यों को अपने व्यक्तिगत पर्यवेक्षण में लागू करवाएं। मैं कैबिनेट सचिव को भी निर्देश दे रहा हूं कि वो इस संबंध में आपके मुख्य सचिवों के संपर्क में रहें। इस महत्वपूर्ण कार्य में केंद्र सरकार का राज्यों को पूरा समर्थन है।

शुभकामनाओं के साथ,

आपका,



(नरेन्द्र मोदी)

श्री नीतीश कुमार
मुख्यमंत्री, बिहार
पटना

Annex**Measures to collect and conserve rainwater**

1. जल संसाधन, नदी विकास व गंगा संरक्षण मंत्रालय की **Repair, Restoration and Renovation Scheme** जिन राज्यों में लागू है वहां इसके द्वारा पारंपरिक water bodies सहित जल इकाइयों की भंडारण क्षमता को बहाल करना और बढ़ाना।
2. जल स्रोतों को बनाए रखने के लिए O&M कार्य व पेयजल की कमी से निपटने की किसी अनिवार्यता/आकस्मिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए तथा सूखारोधी उपायों के लिए वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार "flexi-fund" के अंतर्गत राज्यों को वितरित NRDWP fund का 25% तक हिस्सा उपयोग में लाया जा सकता है।
3. सिंचाई टैंकों से गाद निकालना और उनका restoration करना ताकि उनकी भंडारण क्षमता बढ़ाई जा सके। भारत में लगभग 5,20,000 सिंचाई टैंक हैं जिनकी भंडारण क्षमता कुछ 3000 crore cubic meters है। जल भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए गाद निकालना बहुत ही किफायती तरीका हो सकता है। इस कार्य के लिए MGNREGA funds का उपयोग किया जा सकता है। ऐसी water bodies को अतिक्रमण से मुक्त रखा जाना चाहिए और उनमें आपूर्ति channels की मरम्मत मई, 2018 के अंत तक पूरी की जानी चाहिए। सिंचाई बांध व टैंक में जमा गाद अच्छी गुणवत्ता की होती है और कृषि के लिए काफी उपयोगी होती है। राज्यों में गाद निकालने के अभिनव प्रयासों में स्थानीय किसानों को इसे खोदने व ले जाने के लिए प्रेरित कर शामिल किया गया है और स्थानीय लोगों की भागीदारी को बढ़ाकर इस कार्य की लागत में महत्वपूर्ण कमी लाई गई है।

4. प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (Watershed Development Component) (WDC-PMKSY) के तहत किसी भी विद्यमान वर्षा जल संचयन, भू-जल के पुर्नभरण में तथा अन्य watershed development परियोजनाओं को पूरा करने में तेजी लाना। इस वर्ष, ज्यादा जोर, चल रहे जल संरक्षण कार्यों को पूरा करने पर होगा।

5. अतिरिक्त खेतिहर तालाबों का निर्माण करना क्योंकि वे कम लागत वाले होते हैं तथा उनका रखरखाव आसान होता है व जल ग्रहण करने और जल भंडारण की क्षमता उनकी अच्छी होती है। वे सूखे को रोकने के प्रभावी उपाय के रूप में काम करते हैं क्योंकि वे मिट्टी में नमी को उस समय भी बनाए रखने में सहायता करते हैं जब सूखे की अवधि बढ़ जाती है। MGNREGA निधियों का उपयोग इस कार्य के लिए भी किया जा सकता है।

विशिष्ट परियोजनाओं के लिए NABARD के द्वारा funds की व्यवस्था करने को भी देखा जा सकता है। कोई भी अधूरा खेतीहर तालाब एवं अन्य सिंचाई के कार्यों को मानसून के शुरू होने पहले प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाना चाहिए।

6. जहां aquifer की विशेषताएं अनुमति दें वहां कृत्रिम भू-जल पुर्नभरण संरचनाओं जैसे पुर्नभरण shafts का निर्माण करना, tube wells की Bore blasting, hydro-fracturing और उनकी सफाई का कार्य भू-जल पुर्नभरण को बढ़ाने के लिए भी किया जा सकता है। भू-जल के गिरने के रुझान को रोकने के लिए वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुर्नभरण के माध्यम से भू-जल की sustainability बढ़ाएं।

7. हर किसान को भू-जल को बढ़ाने के लिए **filtered storm-water** का उपयोग करने के लिए अपने खुले कुओं में बदलाव लाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। भूमि पर होने वाले अनुभव यह दिखाते हैं कि जल पुर्नभरण के लिए यह एक सबसे कम लागत का उपाय है।
8. उपयुक्त स्थानों पर **चेक डैम, बोरी बंधन (Polybag चेक डैम), percolation ponds** एवं **sub-surface dykes** को बनाने एवं उनका रखरखाव करने में ग्रामीण समुदायों की सहायता की जा सकती है।
9. **Surface irrigation return flows** के माध्यम से **groundwater recharge** को बढ़ाने के लिए **canal network** को बेहतर करना। यह भी सुझाव दिया गया है कि **canal system** के अंतिम सिरे पर **secondary storage structures** बनाए जाएं ताकि सामान्य मानसून के समय जल भंडारण का लाभ उठाया जा सके जिसका उपयोग सूखा पड़ने की स्थिति में किया जा सकता है।
10. एक **promotional media campaign** शुरू किया जाए जिसमें घरों और कारोबारों को लक्ष्य बनाया जाएगा ताकि उन्हें जागरूक किया जा सके कि जल संसाधनों के पुनर्भरण का क्या महत्व है और ऐसा करने के क्या-क्या विकल्प हो सकते हैं। सूखा प्रबंधन के लिए, विशेषकर सूखे की संभावना वाले राज्यों में, समाज की सक्रिय भागीदारी और उनकी भूमिका में **NGOs** तथा **CSOs** की भूमिका चिह्नित की जा सकती है।
11. ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में घरों, कारोबारों और संस्थाओं द्वारा **rainwater harvesting** को बढ़ावा देना। प्रत्येक घर से कहा जा सकता है कि वे एक **rain water harvesting structure** बनाएं। विशेष रूप से, **roof top rainwater harvesting** को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि बिना बारिश वाले दिनों में कम से कम 100 दिनों तक पीने के पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

मौजूदा जल संसाधनों को संरक्षित करने के उपाय

1. पाइपलाइन वितरण नेटवर्क में पानी का रिसाव एवं चोरी को कम से कम कर देना। राज्यों द्वारा recharge shafts and pits, check dams, percolation ponds, farm ponds, आदि के रूप में उपयुक्त कार्यक्रमों के लिए, स्रोत की पहचान हेतु उपलब्ध कराए गए hydro-geo-morphological maps का उपयोग किया जा सकता है।
2. महत्व के अनुसार पानी के उपयोग की प्राथमिकता तय करना। उदाहरण के लिए, लॉन की सिंचाई के लिए म्युनिसिपल पानी का प्रयोग करने के बजाय पर्याप्त पीने के पानी को प्राथमिकता देना।
3. Water bodies को प्रबंधित एवं बेहतर करते समय यह ध्यान रखना कि **surface area** को कम करने और गहराई बढ़ाने से उतनी ही मात्रा में पानी जमा किया जा सकता है, जबकि वाष्पीकरण से होने वाली हानि भी कम से कम होगी।
 - खोदे गए सभी कुओं को जहां तक हो सके ढककर रखा जाना चाहिए ताकि वाष्पीकरण की हानि कम हो और कुएं भी दूषित भी न हों।
 - जलाशयों के "dead storage water" को पीने तथा घरेलू प्रयोजनों के लिए आरक्षित रखा जाना चाहिए।
 - Bore blasting, hydro-fracturing एवं ट्यूब वेलों की फ्लशिंग से ground water recharge एवं उसकी उपलब्धता बढ़ेगी।

4. कुछ ट्रीटमेंट के बाद कृषि एवं बागवानी के प्रयोजनों हेतु **domestic grey water** के प्रयोग को बढ़ावा देना। Treated waste water को टॉयलेट फ्लशिंग, गार्डनिंग, आदि प्रयोजनों के लिए भी रीसाइकल किया जा सकता है।
5. किसानों द्वारा **micro-irrigation** को बढ़ावा दिया जाए जिससे खेत में पानी के उपयोग की दक्षता में 30-50% की वृद्धि हो सकती है।
6. गंभीर रूप से सूखा प्रभावित क्षेत्रों में **drip और sprinkler irrigation** को व्यापक स्तर पर बढ़ावा दिया जाए तथा पानी की कम खपत वाली फसलों के उपयोग में वृद्धि की जाए। सामान्यतः drip irrigation, row crops के लिए उपयुक्त माना जाता है, इनमें कपास और कस्टर्ड के अतिरिक्त orchards तथा बागवानी फसलें शामिल हैं। हालांकि, experimental farms में मूंगफली, गेहूं और यहां तक कि चावल जैसी फसलों के लिए भी drip irrigation शुरू किया गया है, इसे बढ़ावा देना चाहिए।
7. **सामुदायिक आधार पर जल संसाधन के प्रबंधन में वृद्धि करने के लिए संस्थागत सुधार** किए जाएं। सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से जल संसाधनों का प्रबंधन करने से जल संसाधनों का समान वितरण होगा तथा इसका संरक्षण किया जा सकेगा। सहकारी तथा भागीदारी के दृष्टिकोण की भूमिका से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पानी की कम खपत वाली उपयुक्त फसलें उगाने के लिए संवेदनशीलता बढ़ेगी।

सभी मामलों में, राज्यों को सबसे पहले सूखे से गंभीर रूप से प्रभावित ब्लॉक्स की समस्याओं की ओर ध्यान देना चाहिए तथा तेज गति से अधिकतम परिणाम देने में सक्षम परियोजनाओं की ओर देखना चाहिए।